



पत्रांक 31/11/2003
मनचित्र संख्या C-0038/07-08-RE1

SECTOR :- 6A

दिनांक 28/4/11

श्री/श्रीमती/श्री M/S INTER NATIONAL ASSOCIATE

35 CURZAN ROAD, DUN

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27-Nov-2003
मौहल्ला/ग्राम/कालोनी 21, RAJ PUR ROAD

के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आपका

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से पांच वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से शाराकीय विभाग में स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने का पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।
5. जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शारान अथवा किसी स्थानीय निकाय की दिक्कत कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर न बढ़ें तो वे किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।
7. विजली की लाईन से 05 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जमाने की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
9. सड़क सर्विसलेन तथा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री स्टोकिंग स्टोरिज नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का प्रबंध स्वयं करना होगा।
10. निर्माण कार्य समाप्त होने के 03 माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा भवन का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे। अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
11. निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसको काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. पानी की निकासी के लिये धौंड छोड़ना होगा।
13. यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को धुपा कर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं यह मान मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।
14. इस मानचित्र की स्वीकृति को मानचित्र के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय के केवल मानचित्र को भूस्वामित्व के साक्ष्य नहीं माना जायेगा।
15. सीलिंग भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
16. रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में वाउण्ड्रीवाल गेट अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
17. ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी हो देखते हुए 15 अप्रैल से 30 जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।
18. पर्वतीय भू-भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।
19. भवन निर्माण करते समय भूकम्प व सुरक्षात्मक तकनीकी प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा।
20. भवन के अग्रतार भाग में 2 फीट लगाना अनिवार्य होगा।

VIM
28/4/11

सा. नर्मिता/सचिव/उप-सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

शर्तें
1-यह स्वीकृति समस्त धारित दस्तावेजों से प्राप्त स्वामित्व प्रमाण पत्रों में उल्लिखित नियम/शर्तों से प्रभावित होगी।
2-प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्शित वाउण्ड्रीवाल एवं रोड का निर्माण सड़क विस्तार क्षेत्र को छोड़कर किया जायेगा, यह स्वीकृति इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत राप्प पत्र दिनांक 27/11/03 से प्रभावित नहीं होगी शर्तों का पालन न करने पर स्वीकृत

C-0082/S-6/2012

चद सं. दिनांक 22/04/2014
प्रशमित।

JE.....

म.दे.वि.विकास
म.दे.वि.विकास

स.वि.वा.उपाध्यक्ष
नमसी देहरादून
विकास प्राधिकरण
देहरादून

ADD./ ALT. COMMERCIAL BUILDING
PLAN FOR M/S INTERNATIONAL
ASSOCIATES THROUGH ITS
PARTNER SHRI D.S. MANN
SITUATED AT PROPERTY NO. 21
(NEW NO. 80) RAJPUR ROAD,
DEHRADUN.

AREA STATEMENT	SQMT
TOTAL LAND AREA AS PER SALE DEED	1471.67
SOLD AREA OF LAND	54.30
BALANCE AREA AS PER SALE DEED	1417.27
TOTAL LAND AREA AS PER SITE	1316.42
DISPUTED LAND AREA (DEDUCTED)	57.23
ROAD WIDENING AREA	6.30
NET LAND AREA	1250.82
EXISTING BASEMENT AREA	407.73
EXISTING GROUND FLOOR AREA	444.50
EXISTING FIRST FLOOR AREA	407.73
EXISTING SECOND FLOOR AREA	407.73
COMPOUNDING THIRD FL. IN S.S.B.	3.12
COMPOUNDING THIRD FLOOR AREA	22.68
PROPOSED THIRD FLOOR AREA	381.93
TOTAL THIRD FLOOR AREA	407.73
TOTAL COVD. AREA OF ALL FLOORS	1607.78
TOTAL COMPOUNDED AREA IN S.S.B.	3.12
GROUND COVERAGE	35.54 %
F.A.R.	1.33
TOTAL AREA OF TOILET (4X9.71)	38.84
AREA OF STAIRCASE	35.88
NET COVD. AREA FOR REQ. PARKING	1592.08
REQUIRED PARKING - $(1592.08/100) \times 2.0 = 31.84$ ECS.	
PROVIDED PARKING	
PROVIDED PARKING IN OPEN	27.12/23-225 ECS.

E - 1:200

C-0082/S-6/2012

कार्ड सं. दिनांक 22/04/2014
प्रशमित।

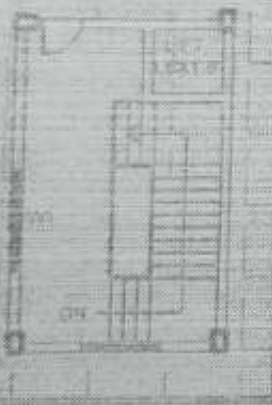
Signature

JE.....

म.दे.विकास वि.करण

स.वि.व.पा.प.य.क.
मुख्य सहायक
पिकर्स प्राधिकरण
देहरादून

TERRACE



PLAN (SCALE - 1:200)

ADD / ALT. COMMERCIAL BUILDING
PLAN FOR M/S INTERNATIONAL
ASSOCIATES THROUGH IT'S
PARTNER SHRI D.S. MANN.
SITUATED AT PROPERTY NO. 21
(NEW NO. 80) RAJPUR ROAD,
DEHRADUN.

AREA STATEMENT	SQMT
TOTAL LAND AREA AS PER SALE DEED	1471.57
SOLD AREA OF LAND	54.30
BALANCE AREA AS PER SALE DEED	1417.27
TOTAL LAND AREA AS PER SITE	1316.42
DISPUTED LAND AREA (DEDUCTED)	57.23
ROAD WIDENING AREA	8.30
NET LAND AREA	1250.83
EXISTING BASEMENT AREA	407.73
EXISTING GROUND FLOOR AREA	444.55
EXISTING FIRST FLOOR AREA	407.73
EXISTING SECOND FLOOR AREA	407.73
COMPOUNDING THIRD FL. IN S.S.B	3.12
COMPOUNDING THIRD FLOOR AREA	22.65
PROPOSED THIRD FLOOR AREA	381.93
TOTAL THIRD FLOOR AREA	407.73
TOTAL COVD AREA OF ALL FLOORS	1667.78
TOTAL COMPOUNDED AREA IN S.S.B	3.12
GROUND COVERAGE	35.54 %
F.A.R.	1.33
TOTAL AREA OF TOILET (4X9.71)	38.84
AREA OF STAIRCASE	36.86
NET COVD AREA FOR REQ. PARKING	1592.08
REQUIRED PARKING = (1592.08/100) X 2.0 = 31.84 ECS	

PROVIDED PARKING :

PROVIDED PARKING IN OPEN = $77.12/23 = 3.35$ ECS

PROVIDED PARKING IN SET BACK =
 $1250.83 - (444.59 + 77.12) = 729.12/23 \times 50\% = 15.35$ ECS

PROVIDED PARKING IN BASEMENT = $407.73/52$
= 12.74 ECS